न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/42/2013	2013/00030	16.12.2013	24.10.2024

1. सुपरिया पुत्र नत्थी जाति जाट, निवासी हनीपुर तहसील कठूमर जिला अलवर ।
2. रामजीलाल पुत्र नत्थी जाति जाट, निवासी हनीपुर तहसील कठूमर जिला अलवर ।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. शेर सिंह पुत्र मंगुराम जाटि जाट निवासी हनीपुर तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।
3. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर।

— रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तकरण इन्तकाल संख्या 268 दिनांक 11.10.2001 ग्राम हनीपुर तह0 कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री दशरथ सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट्स
02—श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील रेस्पो0

निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट्स ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण इन्तकाल संख्या 268 दिनांक 11.10.2001 ग्राम हनीपुर तह0 कठूमर जिला अलवर के द्वारा गलत तरीके पर नामान्तकरण एवं निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि नामान्तकरण इन्तकाल संख्या 268 दिनांक 11.10.2001 ग्राम हनीपुर पटवार हल्का रेटा एवं निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) कठूमर आदेश कमांक/शिविर/2001/ 28 दिनांक 11.10.2001 प्रशासन ग्राम के संग शिविर रेटा तहसीलदार (भू.अ.) कठूमर जिला अलवर के द्वारा पारित किया गया है। नामान्तकरण इन्तकाल एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) कठूमर आदेश कमांक/शिविर/2001/ 28 दिनांक 11.10.2001 प्रशासन ग्राम के संग शिविर रेटा तहसीलदार (भू.अ.) कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील श्रीमान के श्रवण योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 18 ऐयर, 156 रकबा 38 ऐयर, 188 रकबा 22 ऐयर वाके ग्राम हनीपुर पटवार हल्का रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर मे शेर सिंह पुत्र मंगो 1/2 हिस्सा, नत्थी पुत्र रामहेत 1/2 हिस्सा, कौम जाट साकिन देह खातेदार स्थित है, जिसकी जमाबन्दी सम्वत 205—2066 से ताहिद होती है। ग्राम पंचायत रेटा में प्रशासन गाँव के संग शिविर दिनांक 11.10.2001 को आयोजित किया गया था। उक्त शिविर में मिन अपीलाण्ट्स के खसरा नम्बर 146 एवं 156 का तकासमा के सम्बन्ध में कोई मिन अपीलाण्टान के पिता के द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र दिया गया ना ही मिन अपीलाण्टान के पिता द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति दी गई और ना ही शिविर के कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार कोई सहमति ली गई और ना ही शिविर के कर्मचारीयों द्वारा रिकोर्ड व मौके की स्थिति के अनुसार तकासमा किया गया तथा शिविर के कर्मचारीयों द्वारा मनमाने तरीके से मिलीभगत करते हुऐ रेस्पो. संख्या एक को बेजा लाभ पहुंचाने की नियत से उसके हक मे उक्त आदेश पारित कर तकासमा करके इन्तकाल दर्ज किया गया है जो कानूनी मुताबिक रिकोर्ड व मौके के विरूद्ध है, जिसकी ताईद इस वास्ते होती है कि शेर सिंह पुत्र मंगू व नत्थी पुत्र रामहेत का उपरोक्त खसरा नम्बर मे 1/2, 1/2 हिस्सेदारी थी, लेकिन प्रशासन गाँव के संग शिविर के कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से उपरोक्त तकासमा कानून से परे जाकर किया है, क्योकि खसरा नम्बर 156 रकबा 38 ऐयर को रेस्पोडेन्ट संख्या एक को तथा नत्थी पुत्र रामहेत का खसरा नम्बर 146 रकबा 18 ऐयर का तकासमा किया है, जबकि दोनो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

खातेदारों के राजस्व रिकोर्ड के अनुसार 56 ऐयर में से 1/2, 1/2 हिस्से के अनुसार मिन अपीलाण्ट के पिता नत्थी को 28 ऐयर का रकबा मिलना चाहिऐ था लेकिन प्रशासन गाँव के शिविर के कर्मचारीयो ने मात्र 18 ऐयर का ही मिन अपीलाण्ट के पिता को दिया है जो कानूनी खिलाफ मौका व खिलाफ रिकोर्ड है। रेस्पो० संख्या एक जो हमेशा से ही तेज व चालाक किस्म का व्यक्ति रहा है जिसने शिविर के कर्मचारीयों से मिलीभगत करते हुऐ गलत तकासमा दिखाते हुऐ अपने आपको बेजा लाभ पहुचाने की नियत से व मिन अपीलाण्टान को बेजा नुकसान पहुंचाने की नियत से आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 38 ऐयर एवं खसरा नम्बर 146 रकबा 18 ऐयर को मिन अपीलाण्टान के पिता के नाम गलत प्रकार से राजस्व रिकोर्ड में इन्तकाल दर्ज करवा दिया, बल्कि मुताबिक रिकोर्ड दोनों खातेदारों के 1/2, 1/2 के हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या एक का 28 ऐयर का ही कानूनी रूप से अधिकार था लेकिन रेस्पोडेन्ट ने चालाकी से शिविर के कर्मचारीयों से मिली भगत करके 38 ऐयर का अकेले अपने नाम तकासमा आदेश प्राप्त करके हुऐ इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कानूनी रिकोर्ड के खिलाफ है। मिन अपीलाण्टान के पिता का स्वर्गवास होने के उपरान्त विरासत इन्तकाल संख्या 572 दिनांक 20/03/2013 को नत्थी पुत्र रामहेत बहक सूपरिया रामजीलाल पि. नत्थी 1/2 सोमोती केला, मुन्नी पुत्रीयान नत्थी 1/2 बाकी इन्द्राज बदस्तुर कायम हुआ जिसके उपरान्त नामान्तरण संख्या 591 दिनांक 7/10/13 को हकत्याग हिस्सा सोमोती केला, मुन्नी पुत्रीयान नत्थी बहक सुपरिया रामजीलाल पि. नत्थी दर्ज हुआ। मिन अपीलाण्टान के पिता जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसको गलत प्रकार से आराजी खसरा नम्बर 146 का तकासमा आदेश के अनुसार मात्र 18 ऐयर का प्रशासन गाँव के संग शिविर के कर्मचारीयो द्वारा दिया गया है, जबकि मिन अपीलाण्ट के पिता को कानूनी राजस्व रिकोर्ड के अनुसार 28 ऐयर का तकासमा का आदेश कर इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था इस आधार पर उक्त आदेश अपास्त किये जाने व मिन अपीलाण्टान की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। मिन अपीलाण्टान वर्तमान मे भी मुताबिक रिकोर्ड अनुसार अपने पिता नत्थी के 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है लेकिन रेस्पो. संख्या एक द्वारा मिन अपीलाण्ट को गलत आदेश की आड मे आराजी के उपयोग व उपभोग में रूकावट व मजाहमत पैदा की जा रही है जबकि रेस्पो. संख्या एक को ऐसा करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। जब मिन अपीलाण्ट हक त्याग कराने के लिए तहसील परिसर कठूमर में दिनांक 07/10/2013 को उपस्थित हुऐ तब पता चला कि आराजी खसरा नम्बर 146, 156 का गलत इन्द्राज शेर सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में आराजी खसरा नम्बर 156 का पूरा हिस्सा व खसरा नम्बर 146 का पूरा हिस्सा हमारे पक्ष मे किया गया था दोनो खसरा नम्बर का मिलान करने पर हमारे हिस्से में कम आराजी का इन्द्राज हुआ था। उसके बाद हमने वकील साहब से सम्पर्क किया एवं राजस्व रिकोर्ड की जाँच कराई उसके उपरान्त नकल प्राप्त की जिस कारण से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील बनाम नामांकन इंतकाल संख्या 268 दिनांकित 11.10.2001 ग्राम हनीपुर पटवार हल्का रेटा एवं आदेश कमांक/शिविर/2001/28 दिनांक 11/10/2001 प्रशासन ग्राम के संग शिविर रेटा तहसीलदार (जी.ए.) कठूमर जिला अलवर द्वारा गलत तरीके पर नामान्तकरण इन्तकाल एवं निर्णय पारित किया गया अपास्त किये जाने किये जाने की कृपा करें।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि इंतकाल संया 268 ग्राम हनीपुर प्रशासन गांवं के संग शिविर में तहसीलदार भू0अ0 कठूमर द्वारा विधिवत रूप से मुताबिक कानून तस्दीक किया है जो इन्तकाल अपीलान्ट के पिता नत्थू पुत्र रामहेत जाट की उपस्थिति में विधिवत बंटवारा होकर तस्दीक हुआ, जिसकी अपीलाण्ट्स को भी जानकारी थी। दिनांक 11.11.2013 को अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी और ना ही कोई वार्तालाप अपीलान्ट्स के साथ हुई। कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके तकासमा अपने नाम कराने का तथ्य एकदम गलत व मनगढंत है, कानूनी रूप से तकासमा होने पर इन्तकाल तस्दीक हुआ है। अपीलाण्ट्स को विवादित इन्तकाल की जानकारी शुरू से ही थी तथा अपीलाण्ट्स के मृतक पिता श्री नत्थी द्वारा स्वेच्छा से तकासमा किया है। मियाद में अपील पेश न करने का अपीलाण्ट्स ने कोई उचित व स्पष्ट कारण वर्णित नहीं किया है, अपील 12 वर्ष बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलाण्ट्स देरी को कण्डोन कराने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट्स के मृतक पिता श्री नत्थी पुत्र रामहेत जाट ने तकासमा के आधार पर विवादित इन्तकाल तस्दीक हो जाने के बाद ख0नं0 146 वाके ग्राम हनीपुर को पंजाब नेशनल बैंक में अपनी तन्हा खातेदारी की मानते हुए रहन रखी तथा ऋण स्वीकृत कराया है। इसके बाद मृतक श्री नत्थी ने रहन रखने के बाद उक्त आराजी का बेचान का मुहायदा श्यामसिंह पुत्र श्री मंगूराम जाट से दिनांक 23.08.86 को एक लाख रूपया में किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

तथा नगद एक लाख रूपया प्राप्त करके एक इकरारनामा सौ रूपया के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कराकर अपना फोटो लगाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया है। इस बेचान की बाबत अपीलाण्ट्स सुपरीया, रामजीलाल के सहमति के बाबत हस्ताक्षर हैं जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स को विवादित इन्तकाल की शुरू से जानकारी थी। मृतक नत्थी द्वारा इकरारनामा बय तहरीर करते समय यह पाया कि विवादित आराजी ख0नं0 146 वाके ग्राम हनीपुर को बैंक से रहन मुक्त कराकर बयनामा तस्दीक करवा देगा। मृतक नत्थी द्वारा बयनामा न कराये जाने पर श्यामसिंह पुत्र श्री मंगूराम जाट द्वारा एक नोटिस अपीलाण्ट्स के पिता को बयनामा तहरीर व तस्दीक कराने बाबत दिया था, जिस नोटिस का जवाब अपीलाण्ट्स के पिता ने श्री ओमवीरसिंह एडवोकेट द्वारा दिनांक 15.03.2012 को भिजवाया गया था। जिस जवाब नोटिस में भी यह ऐतराज नहीं किया कि आराजी ख0नं0 146 श्री नत्थी की खातेदारी की आराजी नहीं है। अब श्यामसिंह द्वारा अपीलाण्ट्स के विरुद्ध तकमील मुहायदा बय का वाद अदालत अतिरिक्त जिला जज लक्ष्मणगढ के यहां कर दिया है। उस दावे को निष्फल करने की गरज से झूठे तथ्यों के आधार पर इन्तकाल के विरूद्ध यह अपील पेश की है जो निराधार है और खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो द्वारा अपील अपीलाण्ट्स मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2001 के विरूद्व दिनांक 16.12.2013 को पेश की गयी है जो करीब 12 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर (भू.अ.) द्वारा तकासमा के आधार पर उक्त नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त विवादित तकासमा को चुनौती नहीं दी गयी है, जबकि इस न्यायालय में नामान्तकरण की अपील दायर की गयी है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलाण्ट्स तकासमा की दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस न्यायालय को पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण आदेश दिनांक 11.10.2001 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर का आदेश दिनांक 11.10.2001 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)